भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 448
04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः- कृषि पर एग्री स्टैक का प्रभाव

448 डॉ. अमर सिंह:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या यह सच है कि हाल ही में सृजित एग्री स्टैक किसानों, भूमि उपयोग और फसल पैटर्न के विस्तृत अभिलेखों के माध्यम से एक डाटाबेस के रूप में कार्य करेगा;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) किसानों के जीवन में सुधार लाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर)

(क) और (ख): एग्रीस्टैक कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के मूल्य-श्रृंखला में विभिन्न डिजिटल घटकों को एक साथ लाता है। यह भूमि जोत और बोई गई फसलों से संबंधित किसानों के जनसांख्यिकीय विवरणों पर एक व्यापक और उपयोगी डेटाबेस प्रदान करता है, जिससे किसानों को लाभ और सेवाओं जैसे कि ऋण, बीमा, खरीद सुविधाओं आदि तक पहुँचने के लिए खुद को डिजिटल रूप से पहचानने और प्रमाणित करने में मदद मिलती है। यह सटीक उत्पादन अनुमान लगाने के लिए किसी विशेष फसल के अंतर्गत क्षेत्र से संबंधित खेत स्तर पर सटीक जानकारी भी सक्षम बनाता है। एग्रीस्टैक निर्यात, आयात, बाजार हस्तक्षेप और कृषि क्षेत्र के लिए योजनाओं की योजना बनाने के बारे में सूचित नीतिगत निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है।

(ग): किसानों के जीवन में सुधार लाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान 21,933.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान 1,22,528.77 करोड़ रुपये कर दिया है। यह बढ़ा हुआ बजटीय प्रावधान निम्नलिखित की दिशा में सरकार के प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है:

i. पीएम किसान के माध्यम से किसानों को आय सहायता

ii. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

iii. कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण

iv. उत्पादन लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करना

v. देश में जैविक/प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना

vi. प्रति बूंद अधिक फसल

vii. सूक्ष्म सिंचाई कोष

viii. नमो ड्रोन दीदी

ix. किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना

x. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)

xi. कृषि यंत्रीकरण

xii. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना

xiii. राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) विस्तार मंच की स्थापना

xiv. खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन - ऑयल पाम का शुभारंभ

xv. कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)

xvi. कृषि उपज संबंधी लॉजिस्टिक्स में सुधार

xvii. बागवानी के एकीकृत विकास हेतु मिशन (एमआईडीएच) - क्लस्टर विकास कार्यक्रम

xviii. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप इको-सिस्टम का निर्माण

xix. कृषि एवं संबद्ध कृषि-वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि

भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय सहायता और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी रिटर्न और किसानों को आय सहायता प्रदान करके किसानों के कल्याण के लिए हैं।

इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) सभी 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों यानी जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना है। एनएफएसएनएम के अंतर्गत , राज्य सरकारों

के माध्यम से किसानों को उन्नत पद्धतियों पर क्लस्टर प्रदर्शन, फसल प्रणाली प्रदर्शन, अधिक उपज देने वाली किस्मों (एचवाईवी)/संकर के बीजों का वितरण, उन्नत कृषि मशीनरी/संसाधन संरक्षण मशीनरी/उपकरण, कुशल जल अनुप्रयोग उपकरण, पौध संरक्षण उपाय, पोषक तत्व प्रबंधन/मृदा सुधारक, प्रसंस्करण और फसलोपरांत के उपकरण, किसानों को फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। मिशन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू)/कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) को विषय विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों की देखरेख में प्रौद्योगिकी बैक-स्टॉपिंग और किसान को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए भी सहायता प्रदान करता है।

****